

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022

जयपुर, दिनांक : 12 मई, 2022

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संलग्न चुनाव कार्यक्रम में उल्लेखित राज्य के 10 जिलों के 14 नगरीय निकायों में 17 सदस्यों के उप चुनाव माह मई, 2022 के लिये मतदान दिनांक 29.05.2022 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात् दिनांक 27.05.2022 को सांय 05.00 बजे से दिनांक 29.05.2022 को सांय 05.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,


(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

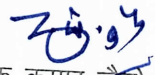
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 4(2)(1)नपा/रानिआ/ 2022/ 9197

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, अलवर, भीलवाडा, धौलपुर, हनुमानगढ, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

दिनांक : 18-05-22


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राजस्थान
आयोग